निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र 1935 (शo)

(सं0 पटना 275) पटना, सोमवार, 8 अप्रील 2013

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

2 अप्रील 2013

सं0 वि०स०वि०-08/2013-3627/वि०स०—''पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 02 अप्रील, 2013 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

फूल झा,

प्रभारी सचिव ।

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

[वि०स०वि०-09/2013]

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

प्रस्तावना:- चूँकि, बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की समस्त व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाया जाना राज्य के शिक्षण हित में अत्यंत ही आवश्यक है,

और, चूँकि, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों में अंकित प्रावधानों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत रेगुलेशनों के अनुरूप अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-(1) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 24,1976 की धारा-2 का संशोधन ।- पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड-(य) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :-

''(य) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ।''

3. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-56 का संशोधन ।- उक्त अधिनियम की धारा-56 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, यथा :-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के पहले शीर्षक सहित नई उप-धारा (1) अन्त:स्थापित की जायगी, यथा:-

''56. विश्वविद्यालय तथा उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति ।

(1) (i) इस अधिनियम और परिनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए आयोग विश्वविद्यालय के शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के संबंध में यथासंभव उन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे राज्य सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा सुपुर्द किये गये हैं ।

(ii) राज्य सरकार की अनुशंसा पर आयोग विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन कर सकेगा, जिसे राज्य पात्रता परीक्षा (स्टेट इलिजिविलिटी टेस्ट) कहा जा सकेगा। इस निमित आयोग केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जिन्हें यू०जी०सी० के विनियम 2010 में अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित अर्हतायें प्राप्त हो;

परन्तु आयोग ऐसी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाई गई विनियम के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश के अध्यधीन संचालित करेगी।

(iii) आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक (सहायक प्राचार्य) के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ कौसिंल फौर साइन्टिफिक एण्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/ राज्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें अथवा समय-समय पर विहित अर्हताऐं प्राप्त हो;

परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम0फिल/ पी.एच0डी0 उपाधि के लिए गठित न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के आधार पर पी.एच0डी0 डिग्री प्राप्त कर लिया है, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से उत्तीर्णता प्राप्त करने की छूट होगी ।

(iv) विषयवार रिक्तियां अगले पंचांग वर्ष की अनुमानित रिक्तियों सहित आरक्षण रोस्टर के साथ प्रत्येक वर्ष की इक्तीसवीं दिसम्बर तक विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भेजी जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकृत तथा संसूचित शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति, आयोग की अनुशंसानुसार ही करेगा और शिक्षकों के पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के बिना नहीं की जायगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यकतानुसार की जाने वाली अनुशंसा में आयेाग इसमें अन्तर्विष्ट शर्त्तों का पालन करेगा।

(vi) खण्ड (iii) के अधीन आवेदित आवेदकों की अन्तर्वीक्षा के आधार पर आयोग विश्वविद्यालय द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिये विषयवार मेधा सूची तैयार करेगा, और ऐसी सूची इसके अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक के लिये विधिमान्य होगी । विषयवार सूची में रिक्तियों के दोगुणा नाम योग्यता क्रम में रखे जायेंगे, किन्तु आयोग एक रिक्ति के विरूद्ध केवल एक नाम ही नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय को एक समय में भेजेगा;

परन्तु, यह कि आयोग मेधा सूची तथा अधिमानक्रम से राज्य में नियुक्तियों में आरक्षण विषयक लागू विधि के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये आरक्षण रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय को नाम अनुशंसित करेगा । इस अधिनियम, परिनियम के उपबंधों में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी बिहार राज्य में प्रभावी आरक्षण नीति सभी नियुक्तियों पर लागू होगी ।

(vii) आयोग की समस्त कार्यवाहियाँ, बैठक का कार्यवृत्त, योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची सहित प्रतिदिन के आधार पर पूरी कर ली जायेगी । योग्यता सूची से संबंधित अभिलेख आयोग द्वारा हस्ताक्षरित होंगे तथा संबंधित विषय की योग्यता सूची को उस विषय के अन्तर्वीक्षा की अंतिम तिथि को ही अंतिम रूप दे दी जायेगी ।

(viii) आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य होगी। नियुक्ति करते समय, विश्वविद्यालय द्वारा खण्ड (vi) के अधीन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से छः महीनों के भीतर, आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसा अनुसार विश्वविद्यालय नियुक्ति करेगी।

(ix) विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति, सेवामुक्ति, हटाया जाना, सेवा समाप्ति या पदावनति के संबंध में आयोग के परामर्श से विहित रीति से कार्रवाई करेगी।

(x) विश्वविद्यालय विभागों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए बोर्ड का गठन यू0जी0सी0 द्वारा समय-समय पर परिचालित विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा संसूचित निदेशों के आलोक में आयोग द्वारा किया जायगा;

परन्तु नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए आयोजित बोर्ड की बैठकों में संबंधित विषय के कम-से-कम तीन विशेषज्ञ उपस्थित रहेगें।

(ख) वर्त्तमान खण्ड (i) के पूर्व कोष्ठक और अंक यथा उपधारा ''(2)'' जोड़ी जायगी तथा उसमें जहाँ-जहाँ शब्द ''शिक्षक'' आया है को शब्द ''प्रधानाचार्य'' से प्रतिस्थापित किया जायगा ।

4. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-57 का प्रतिस्थापन।- उक्त अधिनियम में धारा-57 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा, यथा :-

''57. परिनियम द्वारा विहित की जानेवाली चयन प्रक्रिया :- इस अधिनियम, परिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किसी प्रावधान के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा-56 (2) के अधीन गठित चयन समिति इस अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य होंगे।''

5. व्यावृति ।- अधिनियम का धारा-56 (1) एवं 56 (2) के अन्तःस्थापन एवं संशोधन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और प्रतिस्थापन या विलोपन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी ।

उद्देश्य एवं हेतु

किसी राष्ट्र की प्रगति पूर्णत शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है अगर शिक्षकों की भर्त्ती के समय उनकी गुणवत्ता की जाँच कर ली जाय तो शिक्षा की श्रेष्ठता सुनिश्चित की जा सकती है । शिक्षकों के वेतनमानों से संबंधित भारत सरकार के पत्रों में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के साथ-साथ स्नातकोत्तर शिक्षा में 55% का अंक होना अनिवार्य किया गया है । इस प्रकार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से देश के विश्वविद्यालयों के गुणात्मक सुधार हेतु उसे विधि के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किया गया है ।

राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षा के गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार एवं उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) द्वारा निर्गत विभिन्न विनियमों, निदेश, अनुदेश के अनुरूप किये जाने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को यू0जी0सी0 के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन किये जाने की आवश्यकता है । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर के सहायक प्राचार्य के पदों पर योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अनुशंसा करने हेतु अधिकृत करना है। इस विधेयक के अन्तर्गत आयोग को अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अधीन करने हेतु राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने का अधिकार होगा। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है ।

(पी० के० शाही)
भार-साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक 02 अप्रील, 2013

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 275-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in